संख्या-224/2025/01 के-2/22-3-2024-17(1036)/23

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 30 जून, 2025

विषयः- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी चन्द्रकेश पुत्र श्री धनपाल, निवासी जनपद-सम्भल की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-5768/प्रो(6)/233(महिला दिव.2024), दिनांक 01.03.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा महिला दिवस (08 मार्च, 2024) के अवसर पर स्थाई नीति के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी चन्द्रकेश (बंदी संख्या-40334) पुत्र श्री धनपाल, निवासी ग्राम-मझोला, थाना-धनारी, जनपद-सम्भल का समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 02-02-2004 को मन्जू (08 वर्ष) नामक बालिका के साथ बलात्कार कर उसकी गला दबाकर हत्या करने जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-246/2004 में भा0द0वि0 की धारा-302, 376, 201 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0-10, बदायूँ के आदेश दिनांक 17.03.2005 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 14.07.2006 द्वारा अपील निर्णीत करते हुये मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 08.03.2024 तक बंदी की आयु 42 वर्ष, 11 माह, 19 दिन है। बंदी द्वारा 08 वर्षीय बालिका के साथ निर्ममतापूर्वक बलात्कार व हत्या करने जैसा घृणित, जघन्य व संपूर्ण मानवता को शर्मशार करने वाला अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। अतएव बंदी द्वारा कारित अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता तथा समाज को प्रभावित करने वाले अपराध के दृष्टिगत दयायाचिका समिति द्वारा शासनादेश संख्या-564/18/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01-08-2018, यथासंशोधित शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28-07-2021 तथा यथासंशोधित शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी/2018, दिनांक 27-05-2022 के प्रस्तर-12 में निहित प्रावधानों के अर्न्तगत सिद्धदोष बंदी चन्द्रकेश पुत्र श्री धनपाल की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी चन्द्रकेश (बंदी संख्या-40334) पुत्र श्री धनपाल, निवासी जनपद-सम्भल की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत संदर्भगत शासनादेश दिनांक 01-08-2018, 28-07-2021 तथा 27-05-2022 के प्रस्तर-12 के अधीन दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-01 के-2/22-3-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
3- जिला मजिस्ट्रेट, सम्भल।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारगार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (किमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-4/2021 पालिसी स्ट्रेटजी फार ग्राण्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय में पारित आदेशों के सन्दर्भ में।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।